न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–80 / 2020

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
कैलाश पुत्र गंगाराम के वारिसान 1 / 1.पूजा पत्नि कैलाश जाति आचारी 2.गौरख पुत्र बालकिशन 3.हीना पुत्री बालकिशन 4.रीना पुत्री बालकिशन जाति आचारी निवासी किलीखाना किले की धाटी,चौक आचार्यो का मौहल्ला जोधपरु	1.इमरतलाल पुत्र सोनाराम के वारिसान 1 / 1.दाऊलाल पुत्र इमरतलाल 1 / 2.धेवरचंद पुत्र इमरतलाल 1 / 3.भीयाराम पुत्र इमरतलाल जाति आचारी निवासी डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर 2.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

निर्णय

दिनांक–31/7/2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मुतवफी सोनाराम के तीन पुत्रः– इमरतलाल,गंगाराम व मोहन थे। तीनो भाईयों की पुश्तैनी भूमि ग्राम डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 208,219,504,536 कुल रकबा 14–08 बीधा व खसरा संख्या 204 व 220 कुल रकबा 27–00 बीधा व खसरा संख्या 447 रकबा [illegible] बीधा भूमि अवस्थित थी। वक्त सेन्टलमेंट सोनाराम के तीन पुत्रों का संयुक्त खानदान [illegible] इमरतलाल बड़ा भाई होने से कर्ता व मुख्य खानदान थे। वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 208, 219, 504, 536,204,220 तीनों भाईयों इमरतलाल,गंगाराम व मोहन के नाम संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हो गए थे। लेकिन खसरा संख्या 447 अकेले इमरतलाल के नाम इन्द्राज हुआ,जबकि उक्त खसरान में भी इमरतलाल के साथ दोनो भाईयों का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त था। कि मोहन लाऔलाद निवसीयती देहान्त हो गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में इमरतलाल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गंगाराम का बहिस्सा बराबर आधा आधा हिस्सा था और अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। गंगाराम के वारिसान वादीगण है और इमरतलाल के वारिसान प्रतिवादी है। गंगाराम पहले फौज नौकरी में थी,फौज नौकरी में सेवानिवृत होने के पश्चात नेशनल केडट कौर में बतौर ड्राईवर के पद पर नौकरी करते हुए सेवानिवृत हो गए थे। गंगाराम के जीवनकाल में ही उसकी पत्नि का देंहान्त हो गया था और वादीगण ही गंगाराम के वारिसान है। गंगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की बक्सीसनामा व हकतर्कनामा अपने भाई इमरतलाल के पक्ष में नहीं किया था। गंगाराम का देहान्त वर्ष 2000 में हो गया। प्रतिवादी भीयाराम द्वारा फर्जी तरीके से वर्ष 2009 में स्वंय गंगाराम बनकर उनके हिस्से भी भूमि अपने पिता इमरतलाल के पक्ष में बक्सीस कर दी गई,जो कि एक प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया। जबकि गंगाराम के वारिसान वादीगण का वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। भीयाराम द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा का पुलिस में परिवाद भी पेश किया,जिसमें गंगाराम बनकर भीयाराम द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा साबित होने पर सक्षम न्यायालय में चालान पेश हो रखा है। अतः प्रतिवादी के हक में हुए बक्सीसनामा,हकतर्कनामा दिनांक 29.10.2009 वादीगण के हको के विरूद्व शून्य व निष्प्रभावी करार देते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 208,219,504,536,204,220,447 कुल रकबा 67–18 बीधा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी धोषित की जावें तथा वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवानें हेतु वादपत्र पेश किया गया।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादी को जरीये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया,प्रतिवादी के रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही। वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 कैलाश व पी.डब्ल्यू–02 अशोककुमार द्वारा लिखित बयानात शपथ पत्र पेश किए। बयानात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.–01 प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.10.2012 की प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–02 अन्तिम प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 19.7.2016 की प्रमाणित प्रति,ई.ए[illegible] वादग्रस्त भूमि की खतौनी बदोबंस्त प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–04 [illegible] की जमाबंदी संवत 2063–2066 खसरा संख्या 204,220 [illegible] ई.एक्स.पी.–05 इसी ग्राम की खसरा संख्या 208,219,504,536 जमाबंदी संवत 2063–206[illegible] की प्रमाणित प्रति, ई.एक्स.पी.–06 इसी ग्राम की खसरा संख्या 447 जमाबंदी संवत 2063–2066 प्रमाणित प्रति, ई.एक्स.पी.07–इसी ग्राम की खसरा संख्या 204,208,219,220,447,504,536 जमाबंदी संवत 2071–2074 प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–08 वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 204 व 220

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बक्सीसनामा दिनांक 29.10.2009 आगे क्रेता इमरतलाल प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–09 वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 208,219,504,536 हकतर्कनामा दिनांक 29.10.2009 आगे क्रेता इमरतलाल प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–10 एफ.एस.एल रिपोर्ट दिनांक 30.9.2014 प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी. 11 राजस्व वाद संख्या 84/2010 अनवान दाऊलाल बनाम भीयाराम वगैरा की प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–12 राजस्व वाद संख्या 84/2010 में प्रतिवादी संख्या 03 से 06 का जबावदावा मय काउन्टर क्लेम की प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.–13 आदेशिका की प्रमाणित प्रतिया,ई.एक्स.पी.–14 ए गंगाराम की मृत्यू प्रमाण पत्र प्रति,ई.एक्स.पी.–15 ए प्रकासीदेवी की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति,ई.एक्स.पी.–16 ए गंगाराम की पेशन विभाग द्वारा जारी पी.पी.ओ.प्रति,ई. एक्स.पी.17 ए–गंगाराम के नाम जारी ड्राईविग लाईसेन्स प्रति,ई.एक्स.पी.–18 बालकिशन मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाई गए।

4.हमनें वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि मुतवफी सोनाराम के तीन पुत्रः–इमरतलाल,गंगाराम व मोहन थे। इनकी पुश्तैनी भूमि ग्राम डोली राजगुरो तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 208,219,504,536 कुल रकबा 14–08 बीघा व खसरा संख्या 204 व 220 कुल रकबा 27–00 बीघा व खसरा संख्या 447 रकबा 26–10 बीघा भूमि अवस्थित थी। वक्त सेन्टलमेंट सोनाराम के तीन पुत्रों का संयुक्त खानदान था। इमरतलाल बड़ा भाई होने से कर्ता व मुख्य खानदान था,वक्त सेन्टलमेंट खसरा संख्या 208,219,504,536,204,220 तीनों भाईयों इमरतलाल,गंगाराम व मोहन के नाम संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हो गए थे। लेकिन खसरा संख्या 447 अकेले इमरतलाल के नाम इन्द्राज हुआ,जबकि उक्त खसरान में भी इमरतलाल के साथ दोनो भाईयों का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त था। मोहन लाऔलाद निवर्सीयती देहान्त हो गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में इमरतलाल व गंगाराम का बहिस्सा बराबर आधा आधा हिस्सा निहित हो गया। गंगाराम व उसके बाद वादीगण का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। गंगाराम सरकारी नौकरी फौज में कार्यरत थे और फौज से सेवानिवृति होने के बाद एन.सी.सी. में बतौर ड्राईवर के पद पर नौकरी की जहां से तारीख 30.6.1995 को सेवानिवृत हुए और सेवानिवृति पर नियमानुसार पेशंन भी बनी थी। वादीगण के वालिद गंगाराम के जीवनकाल में ही उसकी पत्नि का देहान्त हो गया था तथा गंगाराम का देहान्त जोधपुर शहर में दिनांक 23.11.2000 को हो गया। गंगाराम का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा था और अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चल [illegible]। गंगाराम नें अपने जीवनकाल में 1/2 हिस्सा अपने भाई इमरतलाल को बक्सीसनामा [illegible] के जरिये हस्तान्तरण नहीं किया था। प्रतिवादी संख्या 01 दाऊलाल ने एक राजस्व वाद संख्या 84/2010 अनवान दाऊलाल बनाम भीमाराम पेश किया,जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पता चला कि मृतक गंगाराम का नाम नामान्तकरण संख्या 563 दिनांक 20.11.2009 के जरियें रजिस्ट्रर्ड बक्सीसनामा के आधार पर हटाया जा चुका है। जबकि गंगाराम की ओर से ऐसी कभी कोई बक्सीस व हकतर्क नहीं किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

था। वादीगण की ओर से उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्व दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की गई,तब सर्वप्रथम सन्देह होने पर वादी की ओर से पुलिस थाना पचपदरा में प्रतिवादी के विरूद्व परिवाद पेश किया,परिवाद में बाद जांच अंतिम प्रतिवेदन में पाया कि गंगाराम के फोत होने के बाद प्रतिवादी भीयाराम द्वारा फर्जी तरीके से स्वंय को गंगाराम बताकर अपने पिता इमरतलाल के पक्ष में बक्सीस व हकतर्कनामा किया गया,उक्त प्रतिवादी के विरूद्व फौजदारी प्रकरण चल रहा है। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी की ओर से पेश राजस्व वाद में वादीगण की ओर से विस्तृत रूप से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया,इसके बाद प्रतिवादी की ओर से वाद को जानबुझकर अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज करवाया गया। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के वालिद की भूमि को प्रतिवादी की ओर से फर्जी तरीके से हड़प की गई है। जबकि वादीगण का अपने 1/2 हिस्से पर आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसे फर्जी दस्तावेज प्रारम्भतःशून्य एव निष्प्रभावी की श्रेणी में आते है। वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान व दस्तोवजी साक्ष्य से भी साबित है,कि वादीगण की हक हकूक की भूमि को प्रतिवादी द्वारा फर्जी तरीके से हड़प की गई है,जो वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के हक में हुए बक्सीस व हकतर्कनामा दिनांक 29.10.2009 वादीगण के हको के विरूद्व शून्य व निष्प्रभावी करार देते हुए वादग्रस्त खसरा संख्या 208,219,504,536,204,220,447 कुल रकबा 67–18 बीधा भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का सहखातेदार धोषित किया जावें तथा वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावें। वकील वादीगण की ओर से अपनी बहस के सर्मथन में 2018(1) आर.आर.टी पृष्ठ 584 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

5.हमनें वकील वादीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तोवजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा न्यायिक द्रष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम डोली राजगुरो तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 208,209 व 204 व 220 वक्त सेन्टलमेंट मुतवफी सोनाराम के तीन पुत्रः–इमरतलाल,गंगाराम व मोहन के नाम संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हुई थी,जो पत्रावली के संलग्न दस्तोवज ई.एक्स.पी.03 के अवलोकन से स्पष्ट है। खसरा संख्या 447 वक्त सेन्टलमेंट इमरतलाल के आवगी खातेदारी में इन्द्राज हुआ। [illegible]रान नम्बर 208,219,204 व 220 तीनों भाईयों के नाम संयुक्त खातेदारी में वक्त [illegible]मेंट संयुक्त खातेदारी में इन्द्राज हुआ था। इससे प्रमाणित है,कि खसरान नम्बर 447 [illegible] वादीगण के वालिद गंगाराम का हक हकूक निहित है। इमरतलाल व गंगाराम के भा[illegible]हन ला औलाद निर्वसीयती देहांत हो गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण के वालिद गंगाराम व प्रतिवादी के वालिद इमरता का बहिस्सा बराबर आधा आधा हिस्सा निहित हुआ। जिसकी ताईद वादग्रस्त भूमि की जमाबंदीया ई.एक्स.पी.03 से ई.एक्स.पी.–06 के अवलोकन से होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

है,कि वादीगण का वालिद गंगाराम रिर्कोर्डड सहखातेदार था। वादीगण का वालिद गंगाराम का देहान्त दिनांक 23.11.2000 को हो गया था,जिसकी पुष्टि जोधपुर नगर निगम जोधपुर द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र से होता है,जो प्रदर्शित दस्तोवज ई.एक्स.पी.14ए है। जबकि वादीगण के वालिद गंगाराम की सहखातेदारी खसरा संख्या 204 व 220 हिस्सा 1/3 का बक्सीसनामा व खसरा संख्या 208,219,504,536 हिस्सा 1/2 का हकतर्कनामा दिनांक 29.10.2009 को प्रतिवादी भीयाराम,जो गंगाराम बनकर अपने पिता इमरतलाल के पक्ष में पंजीबद्व करवा देता है और उक्त तथाकथित दस्तावेज के आधार पर वादीगण के वालिद गंगाराम का वादग्रस्त भूमि से नाम हटाया जाता है। जबकि निदेशक,फिगर प्रिन्ट ब्यूरो राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक 557 दिनांक 30.9.2014 के द्वारा तथाकथित दस्तावेज को संग्दिध माना है,जो प्रदर्श–10 है। परिवाद द्वारा पुलिस थाना पचपदरा में तथाकथित फर्जीवाड़े के विरूद्व परिवाद पेश किया,जो प्रदर्श–01 है और थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा द्वारा परिवाद पर बाद जांच अपनी अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट में प्रतिवादी भीयाराम द्वारा तथाकथित बक्सीस व हकतर्कनामा दस्तोवजात में, फर्जीवाड़ा किया जाना जुर्म मानते हुए माननीय सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई,जो प्रदर्श–02 है। इस प्रकार प्रथम द्रष्यता यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादी भीयाराम द्वारा वादीगण के वालिद गंगाराम के हक हिस्से की भूमि तथाकथित दस्तोवज के जरिये अपने पिता इमरतलाल के पक्ष में पंजीबद्व करवाई गई। जबकि गंगाराम को देहांत वर्ष 2000 में हो गया था और उक्त तथाकथित बक्सीस व हकर्तनामा वर्ष 2009 में किए गए,जो कि विधि सम्मत नहीं है। ऐसे कुठरचित दस्तोवजात प्रारम्भतःशून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में आते है। जिसकी ताईद माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक द्रष्टांत 2018(1)आर.आर.टी.पृष्ठ 584 में प्रतिपादित है,कि राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र को शून्य व अप्रभावी धोषित कर सकता है,जो कि उक्त न्यायिक द्रष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। प्रतिवादी पक्ष बावजूद रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं हुए है,इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार होने पर उनकी मौन स्वीकृति है। यदि आपर्ति होती तो अपनी ओर से उजर एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा प्रतिवादी की ओर से नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन कें उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पंहुची है कि वादीगण के वालिद गंगाराम की हक हकूक की भूमि [illegible] हकदार हैं और वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे है।

6.लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर [illegible] की खसरा संख्या 204,220 व खसरा संख्या 208,219,504,536 भूमि में प्रतिवादी के हक में हुए बक्सीस व हकतर्कनामा दिनांक 29.10.2009 वादीगण के हको के विरुद्ध शून्य व अप्रभावी धोषित करते हुए वादग्रस्त खसरा संख्या 208,219,504,536,204,220,447 भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का 1/2 हिस्सा खातेदारी धोषित किया

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:29 IST
Reason: SelfAttested

जाता है। वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदुनसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिक्री पर्चा जारी हों।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:03:29 IST
Reason: SelfAttested